जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, विदिशा (म.प्र.)

(44, सावरकर पथ विदिशा)
दूरभाष क्रमांक 07592–236038

क्रमांक / स्टोर / 23–24 / 2644 विदिशा, दिनॉक 27.09.2023

"वाहन नीलामी सूचना"

बैंक वाहन (डीजल) क्रमांक MP-40 CA-4203 (स्कार्पियो) मॉडल वर्ष 2015 जहां है, जैसी स्थिति में है, को विक्रय किया जाना है। इस हेतु सीलबंद निविदायें दिनांक 05.10.2023 को दोपहर 2.00 बजे तक प्रधान कार्यालय में कार्यालयीन समय में आमंत्रित की जाती हैं। बैंक वाहन की ऑफसेट प्राईज ₹ 570000.00 (पांच लाख सत्तर हजार) निर्धारित की गई है। बैंक को प्राप्त निविदायें बैंक की सक्षम कमेटी के समक्ष उसी दिनॉक 05.10.2023 को दोपहर 3 बजे बैंक के प्रधान कार्यालय विदिशा में खोली जावेगी।

उक्त बैंक वाहन के विक्रय संबंधी निर्धारित नियम एवं शर्ते बैंक की किसी भी शाखा या प्रधान कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर कार्यालयीन समय में देखी जा सकती हैं। वाहन का अवलोकन प्रधान कार्यालय में कार्यालयीन समय व कार्य दिवस में किया जा सकता है।

–: वाहन के विक्रय की निर्धारित शर्ते :–

1. वाहन जहां है, जैसी स्थिति में है, विक्रय किया जावेगा। निविदा सीलबंद लिफाफे में दिनांक 05.10.2023 को दोपहर 2.00 बजे तक कार्यालयीन समय में बैंक के प्रधान कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
2. वाहन निविदा के साथ धरोहर राशि ₹10000.00(दस हजार)मात्र का डिमांड ड्राफ्ट बैंक के पक्ष में अथवा बैंक की शाखा विदिशा प्रमुख में जमा कर मूल काउंटर प्रति निविदा के साथ लगाना अनिवार्य होगा। जिस पर बैंक द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जावेगा।
3. वाहन विक्रय हेतु निर्धारित ऑफसेट प्राईस ₹570000.00 (पांच लाख सत्त्र हजार) से कम की निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
4. बैंक को प्राप्त निविदा में अधिकतम दर के निविदाकार को वाहन का विक्रय किया जावेगा।
5. निविदा स्वीकृत होने पर संबंधित निविदाकार से निविदा राशि 25 प्रतिशत भाग तुरंत बैंक में जमा कराना अनिवार्य होगा, तथा शेष राशि संबंधित निविदाकार से 7 दिन के अंदर बैंक में जमा कराई जाकर बैंक द्वारा वाहन का आधिपत्य संबंधित क्रेता को दिया जा सकेगा। यदि समयावधि में निविदाकार द्वारा शेष राशि जमा नहीं की जाती है तो उसके द्वारा जमा अर्नेस्ट मनी की राशि जप्त की जाकर द्वितीय अधिकतम निविदाकार को निगोसिएशन हेतु आमंत्रित किया जावेगा। द्वितीय निविदाकार यदि उतनी ही रााशि देने के लिए सहमत होगा जितनी की प्रथम निविदाकार की राशि थी तो द्वितीय निविदाकार को उक्त प्रक्रिया के तहत वाहन विक्रय किया जावेगा। अन्यथा की स्थिति में निविदा निरस्त की जाकर पुनः विज्ञापन के माध्यम से निविदायें आमंत्रित की जावेगी।
6. वाहन के टैक्स, बीमा प्रीमियम तथा नामांतरण शुल्क व अन्य व्यय वाहन के क्रेता को वहन करना होंगे।
7. बैंक द्वारा वाहन विक्रय के संबंध में बिना कारण बताये प्राप्त सीलबंद निविदाओं को स्वीकृत / अस्वीकृत / निरस्त करने का पूर्ण अधिकार बैंक की विक्रय समिति को होगा।
8. निविदा प्रस्तुत करने पर यह समक्षा जावेगा कि निविदाकर्ता को निविदा की सभी शर्ते मान्य हैं।

9. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
10. वाहन का आधिपत्य निविदा की पूर्ण राशि जमा करने के पश्चात ही दिया जावेगा।
11 .बैंक के निर्णय को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला सहकारी केन्दीय बैंक मर्यादित,
विदिशा

क्रमांक / स्टोर / 23–24 / 2644 **विदिशा, दिनॉक 27.09.2023**

प्रतिलिपि,

1. सहकारिता आयुक्त एवं पंजीयक, सहकारी समितियॉ,म.प्र.भोपाल।
2. प्रबंध संचालक,म.प्र.राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल।
3. संयुक्त पंजीयक,सहकारी संस्थायें,भोपाल संभाग भोपाल।
4. उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला विदिशा।
5. कलेक्टर एवं बैंक प्रशासक महोदय, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, विदिशा।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी (समस्त) जिला सहकारी केन्दीय बैंक मर्यादित .... .म.प्र.।
7. प्रबंधक, जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या.विदिशा।
8. समिति प्रबंधक (समस्त) अपनी समिति के क्षेत्र अंतर्गत वाहन विक्रय सूचना का व्यापक प्रचार–प्रसार करें।
9. शाखा प्रबंधक, (समस्त) जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या.,विदिशा शाखा.......... को सूचनार्थ एवं निर्देशित किया जाता है कि, वाहन विक्रय निविदा की सूचना शाखा के सूचना पटल पर चस्पा करें।
10. कक्षाधिकारी समस्त कक्ष प्रधान कार्यालय विदिशा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला सहकारी केन्दीय बैंक मर्यादित,
विदिशा